REET 2025 LEVEL-2

वंदन बैच

POLITY

लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता

Part -2

LIVE 21-01-2025 07:00 PM

REET POLITY

लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता

REET POLITY

राष्ट्रीय चुनाव आयोग के कार्य

- अनुच्छेद 324 (1)- "इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित. होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।"

Election Commission of India

- संसद
  - लोकसभा
  - राज्यसभा
- विधानसभा *
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति

* राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाता है।

REEET POLITY

- निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करवाता है।
- निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक, पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है।
- यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है।

आचार संहिता → जिस समय चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारीख की घोषणा की जाती है उसी समय से आचार संहिता लागु हो जाती है।

REET POLITY

- चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को तैयार व नवीनीकरण करता है।
- निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करता है।
- चुनावों की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। चुनावी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है, वह अधिकारियों का तबादला कर सकता है व रोक सकता है।

REEET POLITY

नोट :

1. भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का आवंटन चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाता है।

2. राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

REEET POLITY

आदर्श आचार संहिता-

- चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे-कानून और दिशा-निर्देश। इसके उल्लंघन में निम्न कार्य सम्मिलित हैं

REET POLITY

- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग।
- सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग।
- चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद मंत्री द्वारा किसी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले करना।
- मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना।
- मतदाताओं से जाति या धर्म के नाम पर वोट माँगना।
- निर्धारित राशि से अधिक राशि खर्च करना।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु अनुसार) 70 लाख 95 लाख (राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 28 लाख 40 लाख (राज्यों के अनुसार)

चुनाव ⇒ लोकसभा –
- → 70 लाख]- छोटे राज्यों
- → 95 लाख [बड़े राज्यों में]

विधानसभा –
- → 28 लाख [छोटे राज्यों में]
- 40 लाख [बड़े राज्यों में]

REET POLITY

निर्वाचन प्रणालियाँ:-

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली (सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत)	समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
पूरे देश को छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है।	किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।
हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है।	एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।
मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका मिल सकती है।	मतदाता पार्टी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है।
विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का (50%+1) बहुमत मिले उदाहरण- यूनाइटेड किंगडम और भारत ।	विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण- इजराइल व नीदरलैंड।

अग्रेता ही विजेता

Total vote — 100

- A - 35
- B → 25
- C → 18
- D → 22

राष्ट्रपति

राज्यसभा

आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली

→ 50% + 1 vote

total 100 = 51 vote

REET POLITY

नोट –

- भारत में होने वाले प्रत्यक्ष चुनाव जैसे- लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों के आदि, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से ही होते हैं जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव (जैसे- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के) समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होते हैं।

REET POLITY

- राज्यसभा के निर्वाचन में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जिसका सूत्र निम्नानुसार है-

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \left(\frac{\text{कुल मतदाता}}{\text{कुल विजयी उम्मीदवार}_{+1}} + 1 \right)$$

REET POLITY

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप):-

- नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारें में प्रशिक्षित करने एवं उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा 2009 में झारखण्ड से बहुआयामी कार्यक्रम स्वीप (SVEEP-Systematic Voters' Education and Electoral Participation) (सुव्यस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता) चलाया गया।
- इस कार्यक्रम को दिसम्बर, 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रारम्भ किया गया।

REET POLITY

स्वीप, त्रि-आयामी कार्यनीति पर कार्य करता है-

1. **सूचना :-** पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में क्यों, कब, कहां और कैसे के बारे में सूचना देना।
2. **प्रेरणा :-** लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासाओं का जवाब देना।
3. **सुविधा :-** सुविधा सेवाएं प्रदान करना और पंजीकरण तथा मतदान को और सुलभ, आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

REEET POLITY

स्वीप कार्यक्रम के निम्न महत्वपूर्ण उद्देश्य है-

1. शुचित मतदान - निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान।
2. सूचित मतदान - जागरूकता के साथ मतदान।

REET POLITY

चरण	समयावधि	मुख्य कार्यक्रम
स्वीप-1	2009-2013	▪ मतदाताओं के रूप में नागरिकों के पंजीकरण व मतदान में उनकी भागीदारी बढ़ाना। ▪ मतदाता सूचियों के अद्यतन पर जोर दिया गया।
स्वीप-2	2013-2014	▪ न्यूनतम मतदान वाले 10% मतदान केन्द्रों की पहचान कर, मतदान केन्द्रवार स्थिति का विश्लेषण, क्रियान्वयन के साथ- साथ नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन तथा निगरानी की गई। ▪ नवसाक्षर व निरक्षर समूहों के लिए विषयपरक विकास। ▪ मतदान केन्द्रों पर सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर खास जोर।
स्वीप-3	2015-वर्तमान	▪ चुनाव प्रणाली को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना व सह-पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम में शामिल करना। ▪ महिलाओं, युवाओं, शहरी मतदाताओं, सेवारत कर्मचारियों, NRI निःशक्तजन, भावी मतदाताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। ▪ शिक्षा व संचार माध्यमों की अवधारणाओं पर जोर देना। ▪ सोशल मीडिया, ऑनलाईन प्रतियोगिता व मतदाता महोत्सव के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यापक वार्तालाप करना।

REEET POLITY

- मतदाता शिक्षा व सुविधाओं हेतु निम्न नवाचारों द्वारा ICT व सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
- प्रमाणीकरण, शुद्धिकरण, पंजीकरण सुविधा हेतु राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाताओं से पारस्परिक संवाद की वेबसाइट और स्वीप पोर्टल।
- मतदाता सूची में नाम ढूँढ़ने हेतु सुविधा - वेबसाइट, SMS, हेल्पलाइन, इंटरनेट पर मतदान केन्द्र का पता लगाना।
- निर्वाचन और लोकतंत्र विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता।
- फेसबुक व ट्विटर के माध्यम से पारस्परिक वार्तालाप व सूचना। चुनावों व मतदान के लिए समर्पित यू ट्यूब चैनल।

REEET POLITY

राष्ट्रीय मतदाता दिवसः-

- 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
- प्रतिज्ञा- हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

REET POLITY

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- 2004 के आम चुनाव में पहली बार सम्पूर्ण भारत में ई.वी.एम. का प्रयोग किया गया।

नोटा (None of the Above - NOTA) :-

- इस व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता पत्रों या ईवीएम (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) में एक विकल्प के तौर पर 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (NOTA) का प्रावधान किया गया है।

REET POLITY

- अब मतदाता किसी भी उम्मीदवार को न चुनते हुए मत डालने के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- इस प्रावधान को सर्वप्रथम 2013 में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान की विधानसभाओं के आम चुनाव से लागू किया गया था।

REEET POLITY

वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail-VVPAT) :-

- वीवीपीएटी प्रणाली के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय ने 8 अक्टूम्बर, 2013 को निर्देशित किया गया।
- वीवीपीएटी का सर्वप्रथम उपयोग 2013 में नागालैंड के नोकसन विधानसभा क्षेत्र में किया गया।
- यह प्रणाली पहली बार प्राप्त रसीद के आधार पर मतदाता को अपने वोट को चुनौती देने की अनुमति देती है।

REET POLITY

लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य सांसद कहते हैं।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र –

सामान्य	:	412
अनुसूचित जाति	:	84
अनुसूचित जनजाति	:	47
कुल क्षेत्र	:	543

क्र. सं.	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र
1.	उत्तरप्रदेश	80
2.	महाराष्ट्र	48
3.	पश्चिम बंगाल	42
4.	बिहार	40
5.	तमिलनाडु	39
6.	मध्यप्रदेश	29
7.	कर्नाटक	28
8.	गुजरात	26
9.	आंध्रप्रदेश	25
10.	राजस्थान	25
11	ओडिशा	21

REET POLITY

क्र.सं.	राज्य	निर्वाचन क्षेत्र
12.	केरल	20
13.	तेलंगाना	17
14.	असम	14
15.	झारखंड	14
16.	पंजाब	13
17.	छत्तीसगढ़	11
18	हरियाणा	10
19.	उत्तराखंड	5
20.	हिमाचल प्रदेश	4

REET POLITY

21.	**अरूणाचल प्रदेश**	**2**
22.	गोवा	2
23.	मंणिपुर	2
24.	मेघालय	2
25.	त्रिपुरा	2
26.	मिजोरम	1
27	नागालैंड	1
28.	सिक्किम	1

REET POLITY

क्र. सं.	केन्द्रशासित प्रदेश	निर्वाचन क्षेत्र
1.	दिल्ली	7
2.	जम्मू और कश्मीर	5
3.	दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव	2
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
5.	चंडीगढ़	1
6.	लद्दाख	1
7.	लक्षद्वीप	1
8.	पुदुच्चेरी	1

REET POLITY

लोकसभा	चुनाव वर्ष	मतदान प्रतिशत
पहली	1951-52	61.16%
चौथी	1967	61.33%
पाँचवीं	1971	55.29%
छठी	1977	60.49%
आठवीं	1984-85	64.01%
दसवीं	1991-92	55.88%
चौदहवीं	2004	57.98%
पन्द्रहवीं	2009	58.19%
सौलहवीं	2014	66.4%
सत्रहवीं	2019	67.11%
अठारहवीं	2024	65.79%

REET POLITY

- इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया।
- 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ' का नारा दिया।
- वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 'जमीन जोतने वाले को' का नारा दिया था।
- 1983 के आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने 'तेलुगु स्वाभिमान' का नारा दिया था।